



2026:AHC:173325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8402 सन् 2026

कौशल राणा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

: विकास त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 53/2026, थाना जारचा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. यह आवेदक का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन है। आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 7541 सन् 2026 में नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के रूप में निरस्त किया गया था।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि सह-अभियुक्तगण श्रीमती शोभा राठौर तथा तुषार राणा को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त रमेश कुमार, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिया गया है, को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 5378 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का उन छह मामलों के अतिरिक्त, जो आवेदक के विरुद्ध एक के बाद एक दर्ज कराए गए हैं, पाँच अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्तगण शोभा राठौर, तुषार राणा तथा रमेश कुमार के मामले के समान आधार पर स्थित है।

6. मैंने पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार किया है।

7. कथित विक्रय पत्र सह-अभियुक्ता श्रीमती खुशबू देवी द्वारा निष्पादित किए गए हैं। आवेदक न तो साक्षी है और न ही किसी रूप में विक्रय पत्र का पक्षकार है। श्रीमती खुशबू देवी द्वारा निष्पादित छह विक्रय पत्रों से संबंधित छह मामले आवेदक के विरुद्ध एक साथ दर्ज कराए गए हैं। आवेदक के पूर्ववर्ती आपराधिक मामलों का समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

8. मामले के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक कौशल राणा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक तत्समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत रखने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रेक्षण केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु किए गए हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 17 अगस्त, 2026

सचिन